राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार बीदासर

प्रकरण संख्या 73/18 दायरा दिनांक 25.07.2018 पीठासीन अधिकारी

श्री ओमप्रकाश वर्मा

आरटीएस

तहसीलदार बीदासर

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी पटवार मण्डल घंटियाल बड़ी

प्रार्थी..................

बनाम

चुन्नीलाल पुत्र शेराराम जाति जाट नि. ढ़िगारिया

अप्रार्थी.............

निर्णय दिनांक 13.08.2018

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है पटवारी हल्का घंटियाल बड़ी की रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी चुन्नीलाल पुत्र शेराराम जाति जाट नि. ढ़िगारिया तहसील बीदासर ने ग्राम ढ़िगारिया के खसरा नं. 42 तादादी 94.02 बीघा किस्म गेर मुमकिन गोचर में से 01.00 बीघा में अवैध श्मशान स्थापित कर नाजायज अतिक्रमण कर लिया है। अप्रार्थी को धारा 91 एल आर एक्ट के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी ने दिनांक 08.08.2018 को अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तत किया कि उसने उक्त भूमि पर नाजायज अतिक्रमण नहीं किया है।

पत्रावली का अवलोकन करने एवं पटवारी हल्का घंटियाल बड़ी की रिपोर्ट एवं रिपोर्ट में सलंग्न दस्तावेज नकल जमाबंदी नकल एक्स, पी–14 से स्पष्ट साबित है कि अप्रार्थी चुन्नीलाल पुत्र शेराराम जाति जाट नि. ढ़िगारिया ने ग्राम ढ़िगारिया के खसरा नं. 42 तादादी 94.02 बीघा किस्म गेर मुमकिन गोचर में से 01.00 बीघा में अवैध श्मशान स्थापित कर नाजायज अतिक्रमण कर लिया है। नियमानुसार अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाकर गैर मुमकिन गौचर भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। उक्त भूमि का शरह पड़ता लगान का 50 गुणा राशि 05/– पांच रूपया से अप्रार्थी को अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। तद्नुसार भू0अ0 निरीक्षक दूंकर को अप्रार्थी को भौतिक रूप से बेदखल करने एवं पटवारी हल्का घंटियाल बड़ी को तावान राशि वसूल करने हेतु आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर से जारी किया गया एवं सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)

आरटीएस

तहसीलदार बीदासर

तहसीलदार

बीदासर (चूरू)